IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

रीवा जिले में महिला भिक्षुकों आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. के.के. शर्मा
शोध निर्देशक
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय,
जिला–रीवा (म.प्र.)

रजनी द्विवेदी
शोधार्थी
एम.ए., एम. फिल (समाजशास्त्र)
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय,
जिला–रीवा (म.प्र.)

शोध–सारांश :–

प्रस्तुत शोध पत्र में महिला भिक्षुओं के जीवन के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन आर्थिक उपलब्धता के आयोमों पर चिंतन किया गया है। जब तक किसी व्यक्ति के पास जब तक जीवकोपार्जन के लिए आर्थिक संसाधन नहीं होते, उनका जीवन निराशामय और कष्टप्रद रहता है। भौतिक जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो बिना मुद्रा के विनिमय होती हो। इस तरह धन ही व मानक है जिससे जीवकोपार्जन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं जिनका उपयोग रहन–सहन, स्वास्थ्य–सेवा, शिक्षा एवं संसाधन के क्रय हेतु प्रभावी होता है। समय के साथ आर्थिक उपलब्धता के कारक बदलते रहते हैं, पर मुद्रा एक ऐसी इकाई है जो किसी–न–किसी रूप में हर समय बनी रही है।

मुख्य शब्दः महिला, भिक्षुओं, आर्थिक, जीवकोपार्जन, निराशामय, रहन–सहन, शिक्षा एवं संसाधन, कारक, अध्ययन इत्यादि।

प्रस्तावना :–

मुद्रा वह धुरी है जिसके इर्द–गिर्द भौतिक जीवन की अधिकांश आवश्यकताएँ गतिमान है। इस गतिशीलता के पीछे जहाँ मुद्रा की विशिष्ट क्रय शक्ति है वहीं आपूर्ति की इकाई के रूप में मुद्रा का प्रयोग भी है। इस तरह मानव जीवन के एक आवश्यक पहलू को ''आर्थिक जीवन'' का नाम दिया जा सकता है, जो मुद्रा के उपार्जन, संग्रहण पर निर्भर है। इस बात पर कोई शक नहीं की मानव की आर्थिक दशा बहुत हद तक उसके सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावहारिक स्वरूप का निर्धारण करती है। अभावग्रस्त मानव न तो अपना, न ही अपने परिवार का ही समुचित विकास कर पाता है जिसके चलते वह कई व्यावहारिक उपक्रमों में तथा विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है।

इस तरह जीवन की आर्थिक सम्पन्नता ही मानव के विकास के विभिन्न सोपानों को गति देती है। आदिकालीन सभ्यता के विकास के बाद जबसे परिवारवाद का उदय हुआ। आर्थिक आधार की पुष्टता ही उसके पारिवारिक सफलता की आधार बनी। जैसे–जैसे सामाजिक व्यवस्था का विकास होता गया, कार्य व्यापार के आधार पर इनका सामाजिक स्तर निर्धारित कर वर्ण और जाति का निर्धारण किया गया।

मानवीय व्यवस्था के सम्यक विकास में भी संबंधित समुदाय का सामाजिक स्वरूप उसके आर्थिक जीवन से ही सुनिश्चित किया जाता रहा। मसलन निम्न वर्ग जाति का परिवार यदि सम्पन्न हुआ तो उसे समाज में आदर और अपनापन प्राप्त होता था। उच्च कुल में पैदा हुए, गुणवान विद्वान का आर्थिक स्तर ठीक न रहने पर उसे समाज, परिवार यहाँ तक की राज्य में भी उसको उचित आदर नहीं बल्कि निरादर का सामना करना पड़ता था।

समय के प्रवाह में सतत् गतिमान रही यह व्यवस्था धीरे–धीरे और जटिल रूप धारण कर लिया। मध्यकालीन युग आते–आते सामाजिक स्तर का निर्धारक पक्ष हर तरह से संबंधित जन का आर्थिक जीवन स्तर हो गया। सम्भवतः इसी के चलते समाज में व्यवसाय को अतिरिक्त मान्यता मिली आधुनिक युग में मानव के प्रवेश के साथ ही यह व्यवस्था और अधिक जटिल हो

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

गयी। मानव का आर्थिक जीवन ही उसके विकास, परिवर्धन, सामाजिक प्रतिष्ठा का सोपान बन गया। पूर्व में मानव का शैक्षिक विकास के लिए प्रारम्भ किये गये आश्रम भी आगे सामाजिक जटिलता और परिवर्तित सोच के शिकार हुए और यहाँ भी उसी को ही मान्यता और स्थान मिलने लगा जिसका आर्थिक जीवन सुदृढ़ रहा। जीवन के हर आयामों में आर्थिक सुदृढ़ता को मान्यता मिलने के पीछे ''मुद्रा'' की विशिष्ट विनिमय शक्ति है।

मानव जीवन को बनाये रखने के लिए कुछ क्रियाओं का सम्पादन करना जरूरी होता है। ये क्रियायें आर्थिक होती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा ही मानव जीवन की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ये आर्थिक क्रियाएँ समस्त सामाजिक संरचना की आधारभूत इकाइयाँ हैं। मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाएँ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने पर उनमें हीनता की भावना तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही समाज में भी उसे ही दृष्टि का सामना करना पड़ता है।

हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय कृषि के क्षेत्र में हुई सफलताओं की सराहना हुई है। आजादी पूर्व इस देश का चित्रण ''पात्र फैलाकर मांगने वाल'' देश के रूप में किया जाता था, परन्तु अब इसे विश्व का एक प्रमुख अन्न उत्पादक देश माना जाता है। ग्रामीण समृद्धि काफी हद तक कृषि से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगभग 69.08 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। सामाजिक परिवर्तन, आवागमन एवं संचार के साधन एवं प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप अब व्यक्ति भिन्न–भिन्न व्यवसायों को करते हैं। आज के युग में सभी व्यक्ति उच्च पद पर नौकरी करने के लिए इच्छुक है, इसलिए आज कृषि करना लोग ज्यादा पसन्द नहीं करते। जहाँ पर अभी औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण का प्रचार नहीं हुआ है उस क्षेत्र में अभी भी कृषि की जाती है जिससे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कृषि में अभी भी पुराने तरीकों को अपनाया जाता है।

अध्ययन के लिए चिन्हित पूर्व रीवा राज्य में कृषि ही मुख्य व्यवसाय था और आज भी कृषि को अधिक महत्व दिया जाता है। उद्योग–धन्धों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, यही कारण है कि यहाँ के विकास की गति अत्यन्त धीमी है। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लोगों का आर्थिक जीवन प्रारम्भ से ही दयनीय और अभावयुक्त रहा है। आजादी पूर्व तो इस समुदाय के लोगों को न तो भरण–पोषण के लिए यथेष्ठ खाद्य पदार्थ मिलता था और न ही तन ढकने के लिए वस्त्र ऐसी स्थिति में इस समुदाय के लोगों का जीवन स्तर कैसा रहा होगा। सोचकर ही मन सहम जाता है। वर्तमान में भी शासन प्रशासन की प्रचुर नीतियों के चलते ही इनके जीवन स्तर में कोई विशेष अंतर नहीं आया है।

आर्थिक संरचना से तात्पर्य मुख्यतः रहन–सहन के स्तर से है। रीवा जिले के मध्यम और निम्न समुदाय का जीवन की समस्त अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्र बिन्दु कृषि संबंधी मजदूरी एवं अन्य मजदूरी है इसके अतिरिक्त ये लोग कुटीर उद्योग धन्धों तथा तेदूपत्ता पशुपालन से भी अपनी एवं अपने परिवार की जीविका चलाती है। वर्तमान समय में कुछ महिला परिवारों के लोग अशासकीय नौकरी भी सामान्यतः करते हैं। इनकी आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि है। कृषि के प्रधानता के चलते आर्थिक जीवन में कृषि का स्थान सर्वोपरि माना गया है। जिले के अंतर्गत आने वाले खेतों में ये अजा/जजा समुदाय के लोग कृषि संबंधी कार्यों व कृषि मजदूरी का कार्य करते हैं।

आर्थिक जीवन में कृषि कार्य के बाद मजदूरी का दूसरा स्थान आता है। ये लोग कृषि कार्य के अलावा विभिन्न प्रकार के मजदूरी कर अपना जीवन–यापन करते हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय की मात्रा कम होने के कारण अधिकांश लोग अपनी आधारभूत रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति की करने में भी अपने आप को बहुत ही असमर्थ पाते हैं। गरीबी के कारण इनके रहन–सहन का भी जीवन–स्तर निम्न है। कृषि कार्य सीमित होने तथा जनसंख्या के लगातार वृद्धि के कारण इनमें बेरोजगारी भूखमरी की समस्या दिनों–दिन मकड़ी जाल की तरह बढ़ रही है।

सामान्यतः आर्थिक विषमता भी अधिकांशतः पाई गई है। कुछ परिवार ऐसे भी मिले हैं जिनका रहन–सहन सामान्य स्तर का है और कुछ परिवारों का जीवन–स्तर निम्न है अर्थात् वे बहुत गरीबी के साथ जीवन जीने के लिए मोहताज है, इनके आय, उपभोग एवं रहन–सहन के आधार पर आर्थिक स्थितियों का गहराई से अध्ययन कर उनके सामाजिक जीवन की विवेचना की गई है तथा साक्षात्कार पर कुछ ऐसे गरीब परिवार भी शामिल किये गये हैं जिनके परिवार के लोग जो अर्थमूलक विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं तथा उनकी आमदनी सीमित है। शेष परिवारों की आमदनी निर्धारित नहीं है। रीवा जिले के मध्यम और निम्न परिवारों की मासिक आय बड़ी दयनीय है जिस कारण उन्हें भिक्षावृत्ति तक करनी पड़ती है।

रीवा जिले के सामान्य एवं निम्न आर्थिक स्तरों वाले परिवारों की आय का प्रमुख साधन कृषि संबंधी मजदूरी है; इसके अलावा कुछ लोग पशुपालन उद्योग व कुछ नौकरी तथा व्यापार से भी संबंध रखते हैं। आर्थिक व्यय–आय पर ही आधारित होता है। मनुष्य की कुछ प्रमुख आवश्यकताएँ है जिनकी पूर्ति वह सर्वप्रथम करना चाहता है। भोजन, वस्त्र और मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएँ हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् ही अन्य आवश्यकताएँ जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मदों पर व्यय किया जाना संभव है। इसके बाद भी जो शेष बचता है, वही बचत है। बचत की राशि इतनी नहीं होती कि किसी आकस्मिक संकट आने पर समस्याओं का सामुकूल निराकरण हो सके। यह विवशता उन्हें दोयम दर्जे के कार्य के लिए विवश करती है।

वर्तमान में पारम्परिक मूल्य धीरे–धीरे बदल रहे हैं। वस्तु के बदले वस्तु नहीं मिलती, हर वस्तु मुद्रा पर ही निहित है। इसके कारण ऐसे लोग जिनके पास आय के स्रोत नहीं है, को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में अगर ऐसे परिवारों की चर्चा करे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके पास कोई व्यवस्थित उद्यम का क्षेत्र नहीं है। नौकरी और रोजगार से वंचित हैं। शारीरिक, मानसिक दशा ऐसी रहती कि कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के पास भी दूसरों से मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।

भीख मांगने वाले लोग समाज में हेय नजर से देखे जाते हैं। इस बात का वे एहसास भी करते हैं, पर स्वयं की विवशता और मजबूरी ऐसी होती है कि न चाहते हुए भी कुछ पाने की लालसा में हाथ फैलाकर कुछ पाने की मांग करते हैं। अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले में महिला भिक्षुओं की स्थिति अन्य क्षेत्रों से भिन्न नहीं है।

गौर करे तो विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में भरण–पोषण के लिए भीख मांगने में संलग्न महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय और कारूणिक है उनके पास पहनने के लिए ऋतु अनुरूप कपड़े नहीं है। उत्सव, आयोजनों तथा पर्व त्यौहारों में पूजा–पाठ एवं मन्नतों के लिए आवश्यक पैसे नहीं होते, साथ ही अपने परिजनों के बीच आये किसी संकट के निवारण के लिए रुपयों की कमी होती है। कुछ तो ऐसी भी भिखारी महिलाएं नजर आती हैं जिनके पास दो जून की रोटी के लिए भी खाद्य सामग्री नहीं होती है, उनके पास बर्तन, ईंधन आदि की भी उचित व्यवस्था नहीं है जिस कारण वे किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जाकर भरण–पोषण के लिए हाथ फैलाती हैं।

महिला भिखारियों का जीवन स्तर के विभिन्न मानकों को देखने पर एक बात जो सहज लगती है, वह यह है कि यदि सामाजिक मानदण्ड और सामाजिक मानक अनुकूल हो, तो महिलाओं के सामने आर्थिक विपन्नता की स्थिति न निर्मित होगी और न ही उन्हें परम्परा से हटकर भरण–पोषण के लिए लोगों के सामने कुछ आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न परिदृश्य पर गौर करे तो यहाँ के जीवनशैली अन्य क्षेत्रों से हट करके है। रीवा जिले के अधिकांश भूभाग मैदानी और पठारी है। अतएव यह तो यहाँ की भौगोलिक उत्पादकता स्थिर है।

रीवा जिले से जुड़े विभिन्न महानगरों में औद्योगिक और वृहद व्यापारिक परिक्षेत्र हैं। जिस कारण यहाँ की आबादी अधिकांश भाग भरण–पोषण के लिए पलायन कर जाता है। पलायन करने वालों में युवा पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, जिस

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

कारण सामाजिक संरचना का आर्थिक आधार कमजोर होने लगता है। घर से बाहर जाकर सुदूर क्षेत्रों में श्रममूलक कार्य करने वाले युवकों की स्थिति बड़ी विचित्र है जो कुछ कमाते हैं वहीं खाते उड़ाते हैं। परिजनों के हाथ में शासन द्वारा आवंटित सहायता राशि एवं खाद्यान्न ही लगता है। वृत्ति के नाम पर यहाँ पर कृषि ही है, जो अभी भी प्रकृति की कृपा पर है। कुछ नये सुचारु सुविधाएं प्रारंभ हो रहे हैं, पर अभी उनका अनुकूल विकास नहीं हो पाया है जिस कारण कृषि पारम्परिक ही है और लोगों को आपेक्षित लाभ नहीं हो पाता।

व्याख्या :–

विभिन्न उद्यम क्षेत्रों में आर्थिक विषमता के कारण विशेष परिस्थितियों में संसाधनों के अभाव में भिक्षावृत्ति के अलावा कोई अन्य कार्य भी नहीं बचता जिसके अलग–अलग तरीके दिखते हैं। यह तरीके कुछ सामाजिक क्षेत्र से भी हैं, तो कुछ आर्थिक, इनका विवरण इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक 1.महिला भिक्षुओं के परिवार के आर्थिक स्थिति का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	मध्यम	35	23.33
2.	सामान्य	42	28.01
3.	निम्न	73	48.66
	योग	**150**	**100.00**

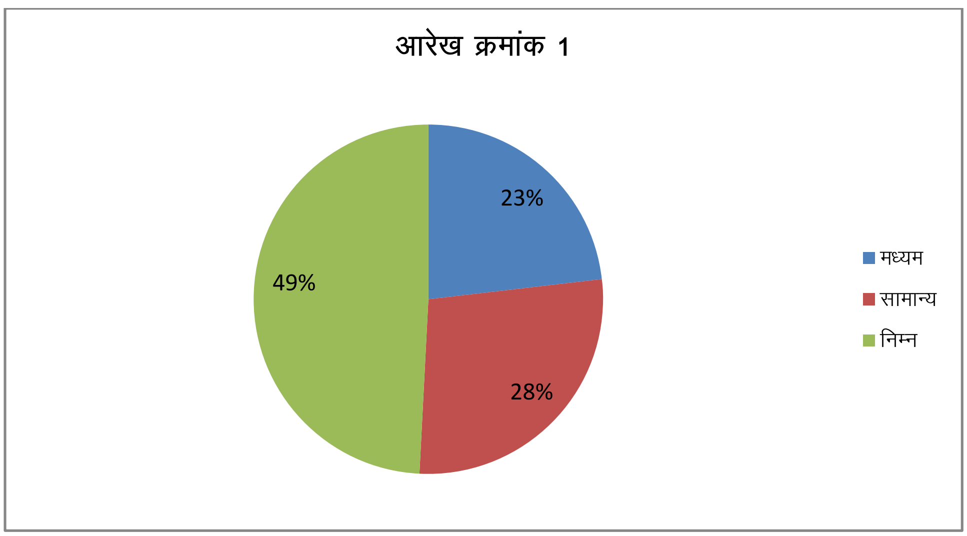

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं के परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 23.33 प्रतिशत मध्यम भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं, 28.01 प्रतिशत सामान्य भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं जबकि 48.66 प्रतिशत भिक्षुक महिलाएं निम्न आय परिवार से हैं।

इस तरह स्पष्ट है कि सर्वाधिक 48.66 प्रतिशत निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से हैं जिनके सामने भिक्षावृत्ति के अलावा कोई अन्य स्रोत भरण–पोषण एवं दैनिक जोविकोपार्जन के लिए नहीं है।

तालिका क्रमांक 2.महिला भिक्षुओं के परिवारिक आय के स्रोत

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	32	21.33
2.	श्रम कार्य	27	18.07
3.	नौकरी	23	15.33
4.	सामयिक व्यवसाय	38	25.23
5.	पारंपरिक उद्यम	30	20.04
	योग	150	100.00

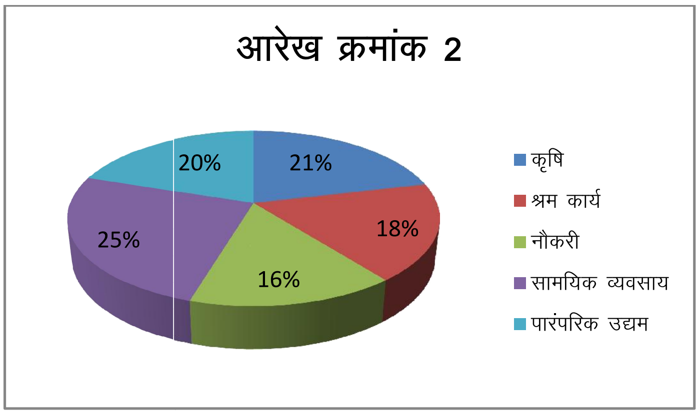

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं के परिवारिक आय के स्रोत का विवरण वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 21. 33 प्रतिशत कृषि कार्य से भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं, 18.07 प्रतिशत श्रम कार्य से भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं, 15.33 प्रतिशत नौकरी पेशा परिवारों से भिक्षुक महिलाएं हैं, 25.23 प्रतिशत सामयिक व्यवसाय से भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं जबकि 20.04 प्रतिशत पारम्परिक उद्यम से भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 25.23 प्रतिशत सामयिक व्यवसाय से भिक्षुक परिवार की महिलाएं हैं, जो समय–सापेक्ष दिखने वाले अर्थ प्राप्ति कार्यक्रमों से जुड़कर भिक्षावृत्ति में लिप्त हो जाती हैं।

तालिका क्रमांक 3.महिला भिक्षुओं की परिवारिक आय

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	5000 से 10000 रुपये	64	42.60
2.	10000 से 15000 रुपये	46	30.66
3.	15000 से 20000 रुपये	23	15.33
4.	20000 से अधिक	17	11.35
	योग	150	100.00

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

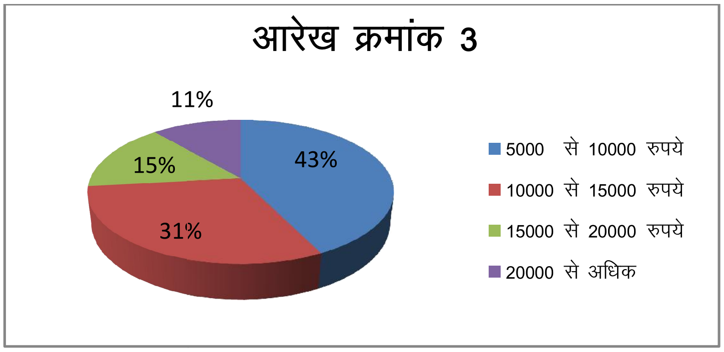

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं के परिवारिक आय के विवरण को वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 42.66 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक आय 5000 से 10000 रुपये है, 30.66 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक आय 10000 से 15000 रुपये है, 15.33 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक आय 15000 से 20000 रुपये है जबकि 11.35 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक आय 20000 से अधिक रुपये है।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 42.66 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक आय 5000 से 10000 रुपये है तथा इस प्रकार कह सकते हैं कि एक तिहाई से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी आय पारिवारिक भरण–पोषण के लिए संसाधन जुटाने में में वे अपने को सक्षम नहीं पाते हैं।

तालिका क्रमांक 4.महिला भिक्षुओं का परिवारिक पेशा

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कबाड़ बिनना	16	10.66
2.	छुट–पुट विक्रय	37	24.66
3.	त्योहारी सीजन कार्य	72	48.03
4.	फेरी लगाना	25	16.65
	योग	**150**	**100.00**

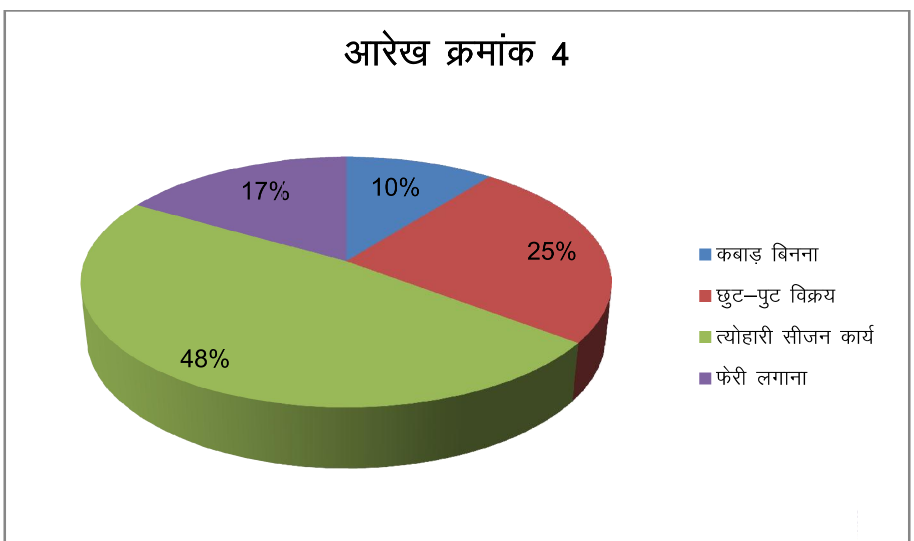

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं के परिवारिक पेशा के विवरण को वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 10.66 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक पेशा कबाड़ बिनना है, 24.66 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक पेशा छुट–पुट विक्रय है, 48.03 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक पेशा त्योहारी सीजन कार्य है जबकि 16.65 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाएँ फेरी लगाकर आर्थिक उपार्जन के माध्यम से जीवकोपार्जन करती पायी गयी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकांशतः 48.03 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक पेशा त्योहारी सीजन कार्य है।

तालिका क्रमांक 5.महिला भिक्षुओं का आय के स्रोतों से संतुष्टि का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	संतुष्ट हैं	18	12.00
2.	संतुष्ट नहीं	132	88.00
	योग	**150**	**100.00**

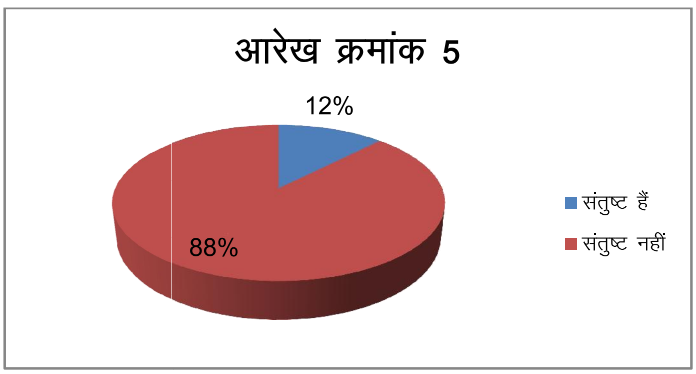

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं के परिवारिक आय के स्रोतों से संतुष्टि प्राप्त के विवरण को वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 12.00 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक आय के स्रोतों से संतुष्टि है जबकि 88.00 प्रतिशत भिक्षुक परिवार की महिलाओं की पारिवारिक संतुष्टि नहीं है।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अधिकतर भिक्षुक महिलाएं जिनका 88.00 प्रतिशत है पारिवारिक आय के स्रोतों से संतुष्टि नहीं है।

तालिका क्रमांक 6. महिला भिक्षुओं की ऋणग्रस्तता की स्थिति

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	ऋणग्रस्त हैं	104	69.33
2.	ऋणग्रस्त नहीं हैं	46	30.67
	योग	**150**	**100.00**

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

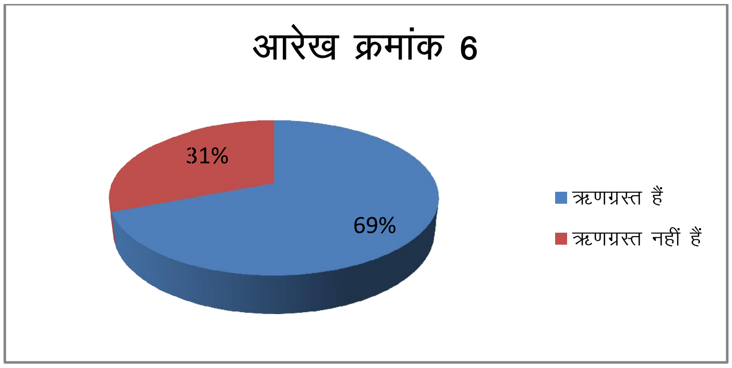

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं की ऋणग्रस्तता की स्थिति के संबंध में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 69.33 प्रतिशत महिला भिक्षुओं ऋणग्रस्त हैं जबकि 30.67 प्रतिशत महिला भिक्षुओं ऋणग्रस्त नहीं हैं।

इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वाधिक भिक्षुक महिलाएं जिनका 69.21 प्रतिशत ऋणग्रस्त देखने को मिला है। ऋणग्रस्तता का कारण पारिवारिक व्यवस्था को सुचारू रूप देना तथा शिक्षा स्वास्थ्य एवं वस्त्र आदि के लिए भी संसाधन समय सापेक्ष जुटाना है। भिक्षावृत्ति में थोड़ा—बहुत जो आय होती है वह तत्कालिक कार्यों में ही समायोजित हो जाती है। ऐसी महिलाएं जो भिक्षावृत्ति से जुड़ीं हैं लेकिन ऋणग्रस्त नहीं हैं उसके पीछे उनकी आकांक्षाओं का समापन है वह जिस जगह पर रहती हैं वहीं खाया, पिया और अनुकूल स्थिति न होने पर, निरादर होने पर अन्य जगहों पर चली जाती हैं इनका कोई स्थिर ठिकाना नहीं होता।

तालिका क्रमांक 7.महिला भिक्षुओं की ऋणदाताओं का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	साहूकार	43	28.66
2.	बैंकिंग इकाइयाँ	21	14.00
3.	स्थानीय ऋणदाता	54	36.00
4.	निजी कम्पनियां	32	21.34
	योग	**150**	**100.00**

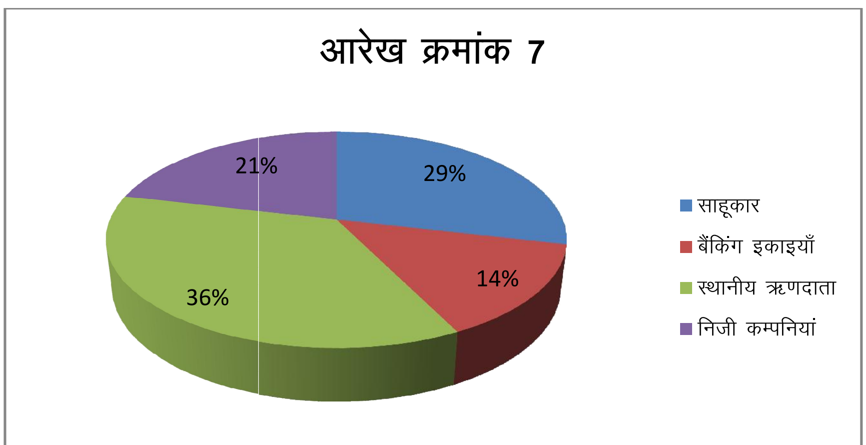

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

उक्त तालिका में महिला भिक्षुओं की ऋणदाताओं का विवरण की स्थिति के संबंध में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 28.66 प्रतिशत महिला भिक्षुओं को साहूकार समुदाय से ऋण प्राप्त होता हैं, 14.00 प्रतिशत महिला भिक्षुओं को बैंकिंग इकाइयॉं से ऋण प्राप्त होता हैं, 36.00 प्रतिशत महिला भिक्षुओं को स्थानीय ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त होता हैं जबकि 21.34 प्रतिशत महिला भिक्षुओं निजी कम्पनियों से ऋण प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 36.00 प्रतिशत भिक्षुक महिलाएं स्थानीय ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त करती हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिला भिखारी सड़कों पर उतरी इसके पीछे मुख्य कारण समाज में होने वाली उनकी अनदेखी है। महिलाएं ज्यादातर विवाहित और परिवारों से संलग्न हैं परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के चलते जब आर्थिक कठिनाई आती है तो परिजनों के द्वारा मदद नहीं मिलती जिस कारण वे भीख मांगने के लिए विवश होती हैं। इस संदर्भ में कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं जिनमें स्वैच्छिक रूप से अन्य कामों से हटकर सरलता और सहजता के चलते भिक्षावृत्ति से महिलाएं जुड़ जाती हैं। बदलते समय में सड़क पर भीख मांगने से संभावित रूप से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानवता के सामाजिक अस्तित्व को खतरे में डाला जा सकता है। इसलिए, राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम सभी का कर्तव्य है कि हम भिखारियों को सहयोगात्मक मदद कर उन्हें भीख मांगने जैसे निम्न कार्य करने के बजाय रचनात्मक कार्यों से जुड़ने को प्रेरित करें। जिससे भिखारी महिलाओं का जीवन स्तर में सुधार हो सके।

संदर्भ स्रोत :–

1. अहूजा राम, सामाजिक समस्याएं जयपुर रावत पब्लिकेशन, 2000
2. अग्रवाल जी.के., समाज शास्त्र, आगरा बुक स्टोर, आगरा, 1998
3. आजाद प्रो. कमलेश्वर सामाजिक परिवर्तन में पंचायतीराज की भूमिका हिमालया पब्लिसिंग हाउस बुम्बई, 1999
4. कपाडिया, के.एम. सामाजिक परिवर्तन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, जयपुर 1998
5. खरे पी.सी. भारतीय समाज एवं संस्कृति हिमालया पब्लिसिंग हाउस बुम्बई 1991
6. गर्ग, भवरलाल, व्यास, प्रहलाद राय, मानव और जीवन का विकास, शिवा पब्लिकेशन, उदयपुर, प्रथम संस्करण, 2001
7. जैन, पुखराज भारतीय संस्कृति की विरासत, नेशनल पब्लिसिंग हाउस दिल्ली 1989ण
8. जैन, अग्रवाल गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत के कर्तव्य, उत्तरदायित्व और अधिकारः विवेक प्रकाशन दिल्ली 1986
9. डॉ. निकुंज, पंचायतीराज की धारणा, किताब घर कानपुर 1971
10. तिवारी टी.पी., ग्राम्य विकास एवं सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग लखनउ–1992